



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनांक 03.09.2025

थाना रमाला पुलिस ने मु0अ0सं0 255/25 धारा

190/191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/352/351(3)/109/132/121(1)/125

बीएनएस व 7 सी.एल. एक्ट से सम्बन्धित 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.09.25 को थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सूप में 02 पक्षों में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गयी है। उपरोक्त सूचना पर थाना रमाला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रथम पक्ष के अभियुक्तों 1. मोहन पुत्र रतन



सिंह 2. रूपेन्द्र पुत्र श्यामा 3. सुशील पुत्र बैन सिंह 4. अमित पुत्र देवी सिंह 5. जितेन्द्र पुत्र रामपाल 6. मिन्टू पुत्र श्यामा 7. रविन्द्र पुत्र श्यामा 8. अरविन्द पुत्र सतपाल 9. सुधीर पुत्र देवी सिंह 10. सोनू पुत्र रामधन 11. राहुल पुत्र मिन्टू 12. सुरेश पुत्र अतल सिंह 13. 02 महिलाएं व अन्य महिला व पुरुष अज्ञात व द्वितीय पक्ष के अभियुक्तों 1. पुष्पेन्द्र पुत्र मेहन्ती 2. उमेश पुत्र मेहन्ती 3. प्रशान्त पुत्र पुष्पेन्द्र 4. अंकुर पुत्र उमेश 5. अंकुर पुत्र महावीर 6. सत्तू पुत्र जगपाल 7. पप्पू पुत्र राममेहर 8. मोहित पुत्र बालेश 9. अरूण पुत्र धन्नी 10. रावण पुत्र इन्द्रपाल 11. विशाल पुत्र राजवीर 12. आकाश पुत्र हरपाल 13. सुखपाल पुत्र कालू 14-01 महिला व अन्य महिला पुरुष अज्ञात अपने हाथों में लाठी डण्डे, तलवार लेकर गाली-गलौच करते हुए एक दूसरे के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया तथा मारपीट की गयी एव ईट, पत्थर मारे गये तथा जान से

मारने की धमकी दी गयी। उक्त घटना से ग्राम में भय व्याप्त हो गया व अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाना रमाला पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर झगडा शान्त कराने का प्रयास किया तो दोनों ही पक्ष के लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 255/25 धारा 190/191(2)/191(3) /115(2)/118(1)/352/351(3)/109/132/121(1)/125 बीएनएस व 7 सी.एल. एक्ट पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 255/25 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/352/351(3)/109 /132/121(1)/125 बीएनएस व 7 सी.एल. एक्ट से सम्बन्धित 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.रूपेन्द्र पुत्र श्यामा निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.सुशील पुत्र बैन सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.मोहन पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.अमित पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
5. सुखपाल पुत्र कालू निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6.आकाश पुत्र हरपाल निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7.मोहित पुत्र बालेश निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8.पुष्पेन्द्र पुत्र मेहन्ती निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 पूजा यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

5-म0उ0नि0 बबीता चौधरी थाना रमाला जनपद बागपत ।

6-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

7-है0का0 134 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

8-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 03.09.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 413/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत जनपद बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 413/25 धारा



2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियुक्तों की प्रत्येक की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. अंकुर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. शुभम पुत्र विनोद निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान--** उक्त अभियुक्तों को दिनांक 03.09.2025 को समय 01.20 बजे मोहल्ला भूमिया ग्राम लुहारी थाना बडौत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 37/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 798/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 860/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 37/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।,
2. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 317(2)/317(5) बी.एन.एस. व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 798/2024 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 860/2024 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 95/2023 धारा 380/411/457 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 438 कवित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 437 बलजीत कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बड़ौत

दिनांक 03.09.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 563/25 धारा 78/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 563/25 धारा 78/137(2) /65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

हासिम पुत्र श्री अलीशेर निवासी ग्राम गुराना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री मधुर श्याम सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 315 ईशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 788 करन सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनांक – 03.09.2025

**थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

सौरव पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।

